न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन

बइलजास शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या –190/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पपली देवी		1. मोतीराम 2. भुराराम 3. सुजाराम 4. खीवांराम 5. चुतराराम पि0 पुखराम 6. तहसीलदार मा.जं.

निर्णय अन्तर्गत धारा– 212 राज. काश्तकारी अधिनियम तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश चौधरी उपस्थित।

निर्णय दिनांकः– 1/X/19

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा सेहवाज के खसरा नम्बर 284, 299, 300, 301, 303, 305, 311, 315 कुल खसरा 8 कुल रकबा 6.6392 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। जो कि वादग्रस्त आराजी है। जिसमें प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा आता है।

वादग्रस्त आराजी सभी सहखातेदारों के मध्य पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार पक्षकारों के मध्य पुर्वजों के द्वारा बंटी हुई है तथा पक्षकार नजरी नक्शे अनुसार अपने–2 हिस्से में काबिज काश्त है एवं मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है लेकिन राजस्व रेकर्ड में आदिनांक तक बंटवाडा नहीं हो रखा है। बंटवाडा नहीं होने से बार–2 सीमा विवाद एवं माठ को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है जिससे खातेदारों के मध्य वैमनस्यता पैदा होती है। प्रार्थीया द्वारा रेकर्ड में बंटवाडा करवाने का कहने पर अप्रार्थीगण बंटवाडा नही करवा रहें है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी के हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा किया जाकर अलग से रेकर्ड में तरमीम किया जावें। जिससे अप्रार्थीगण के बीच किसी प्रकार का मन मुटाव नही रहे। साथ ही वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण के साथ प्रार्थी का कटाई बुआई खडाई निर्माण आदि को लेकर मनमुटाव हो जाता है तथा बार–2 सीमा विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है।

अप्रार्थीगण तरफ से आदिनांक तक वकालतनामा मय जबाब पेश नहीं किया गया है। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ली जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी का परिवार के पुर्वजों द्वारा पुर्व में हो चुका है जिसमें प्रार्थी अपने हक हिस्से में काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से में प्रार्थी को बुआई कटाई एवं निर्माण आदि नहीं करने देते है। जिससे प्रार्थी अपने हक हिस्से में किसी प्रकार का काश्त आदि करने से वंचित हो रहा

सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

है। चुंकि वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान क पुर्वजों के द्वारा बंटवाडा किया जा चुका है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है साथ ही यदि प्रार्थी को उसके हक हिस्से में काश्त खेती अथवा निर्माण करने से रोका जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः अप्रार्थीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से बाधित किया जाना उचित है।

हमने राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया गया। चुंकि वकील वादी द्वारा यह जाहिर किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का मौखिक बंटवाड़ा हो रखा है राजस्व रेकर्ड में यह पक्षकारान की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। तथा राजस्व रेकर्ड में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। अतः सभी पक्षकारान का वादग्रस्त आराजी के हर हिस्से के एक एक इंच पर हक निहित है। खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा देना न्याय संगत नही एवं विधि के विरूद्ध है। इस बात की पुष्टी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय अनवान त्रिलोक चंद बनाम विमला देवी नजीर RRD- 261 = 2007(1) RRT 103 RLW 2006 (2) RJ 1326 से भी होती है। जिसमे पारित निर्णय के अनुसार अप्रार्थी भूमि का दर्ज खातेदार है– अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर उसके विरूद्ध स्थगन नही दिया जा सकता है। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अनवान चावली वगै0 बनाम बलकी देवी वगै0 RRT 113 2016(1) में पारित निर्णय के अनुसार "....वादी तथा प्रतिवादी दोनो ने अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया–एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का दावा नहीं कर सकता ह– निर्णित निचले न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दोषपूर्ण है तथा अपास्त किये।...." अतः जब तक वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी का हक हिस्सा कहां पर निहित है, केवल मौखिक बंटवाड़े को विधि पूर्ण बंटवाड़ा नहीं कहा जा सकता जबतक कि उसका राजस्व रेकर्ड में तरमीम न हो जाये। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है। साथ ही सभी पक्षकारान वादग्रस्त आराजी पर काबिज है अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी के जारी करना विधि एवं कानून के विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा काबिल खारिज है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी को खारीज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न मूल प्रार्थना पत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 1/2/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
सहायक कलेक्टर
मारवाड़ जंक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailendra Singh
Date: 2020.02.21 15:40:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: